In the Court of Addl. Sess. Judge 1 cum Special Judge, Kaimur at Bhabua

SC/ST Reg. Case No. 221/2018

Bhabua SC/ST P.S. No. 74/2018

State Vs. Mahendra Prajapati and others

04.03.2022 अभियुक्त 1. महेन्द्र प्रजापति उर्फ महेन्द्र कुमार 2. अमित प्रजापति 3. अवधेश प्रजापति 4. रवि प्रजापति 5. बनारसी प्रजापति 6. हरिनारायण प्रजापति की ओर से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत का आवेदन दाखिल किया गया। इसकी प्रति अभियोजन को प्राप्त है। जामनत आवेदन प्रचालित हुआ। जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना।

बचाव पक्ष का कहना है कि अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व से जमानत पर थे। लेकिन दिनांक 10.02.2022 को आरोप हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इनका बंधपत्र खंडित किया गया। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि अभियुक्तों का कोई अपराधिक इतिहास नही है तथा अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर आरोप गठन हेतु उपस्थित है। इसलिए अभियुक्तों को उचित बंधपत्र पर जमानत दिया जाय।

अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया। संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद दिनांक 10.02.2022 को पुलिस पेपर आपूर्ति हेतु निश्चित था। लेकिन अभियुक्तों की कोई पैरवी नही होने के कारण उनका बंधपत्र खंडित किया गया। आज सभी अभियुक्तण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किए है तथा आरोप गठन हेतु तैयार है। इसके साथ ही अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थियों के आलोक में सभी छः अभियुक्तों को आरोप गठन के पश्चात् मो0 10,000/– रूपया का बंध पत्र तथा इसी राशि के समान दो प्रतिभू देने पर जमानत पर मुक्त करने का इस शर्त के साथ आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगें तथा वाद विचारण में सहयोग करेगे।

(लेखापित)

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सह विशेष न्यायाधीश,